इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक20.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हथियार से वार करके घायल कर देने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष की सुनायी गयी सजा तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हथियार से वार करके घायल कर देने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष की सुनायी गयी सजा तथा 1,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी जयसिंह निवासी नगला मियां थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर विपक्षीगणों द्वारा वादी के चाचा कायम सिंह को गोली मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी, तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बसरेहर पर **मु0अ0सं0 52ए/2013 धारा 324 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 विजय प्रकाश द्विवेदी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त बड़े उर्फ अर्पित कुमार पुत्र शिवमंगल सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 सन्दीप कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 20.03.2024 को अन्तर्गत धारा 324 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे-1 जनपद इटावा द्वारा 02 वर्ष की सुनायी गयी सजा तथा 1,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **बड़े उर्फ अर्पित कुमार पुत्र शिवमंगल सिंह निवासी नगला मियां थाना सैफई जनपद इटावा ।**